



क्रमांक 884-PBR-15

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर के न्यायालय से

अपील प्रकरण क्रमांक 941-पी.बी.आर./03

सुरेश कुमार पिता कस्तुरचंद जी जैन
पता- 50 पीपली बाजार इंदौर
वर्तमान पता- 25/2, मनोरमागंज इंदौर

—प्रार्थी/अपीलाण्ट

विरुद्ध

- 1- म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर जिला इंदौर
- 2- मे. मालवा इकानामिक डेवलपमेंट सोसायटी तर्फे
ए.आर.मोजेस, पता-85, इंडस्ट्रीज एस्टेट इंदौर।

— प्रत्यर्थागण

आवेदन पत्र प्रकरण को पुर्नस्थापित किये जाने बाबद

प्रार्थी की ओर से निवेदन है कि :-

- 1- यह कि, प्रार्थी के द्वारा श्रीमान् के समक्ष श्रीमान् आयुक्त महोदय इंदौर संभाग इंदौर द्वारा प्रकरण क्रमांक 46/अपील/02-03 में निांक 21/05/2003 को पारित आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । जो अपील प्रकरण क्रमांक 941-पी.बी.आर./03 पर पंजीबद्ध होकर उक्त प्रकरण में अपीलाण्ट की जानकारी के बगैर अनुपस्थिति में दिनांक 13/10/2010 को पारित आदेश के द्वारा निरस्त कर दिया गया।

11 पी.बी.आर. 41/03
16-4-15
113

115

शुद्धेय सुकर / शासन आरी
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

रेस्टोरेशन क्रमांक: 884-PBR/15 जिला इन्दौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-4-19	<p>आवेदन की कोर से पी पी को लिवारी आरिड द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर माग कीम उच्च न्यायालय मंडल खंडपीठ इन्दौर की मांगीका क्रमांक सुक्र पी 1215/2018 आवेदन दिनांक 25-2-19 के पालन के पुनः सुनवाई हेतु निमत किया जाता है। निम्नलिखित किया गया निवेदन रबीकार किया जाता है।</p> <p>प्रकरण के रेस्टोरेशन आवेदन पत्र पर आवेदन आरिड को सुना गया। आवेदन आरिड के रजिस्ट्री से रकमा हो के रेस्टोरेशन आवेदन पत्र रेस्टोरेशन किया जाता है। मूल प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु निमत किया जाता है।</p>	<p><i>[Signature]</i> अध्यक्ष</p>